<u>समाचार</u>

नोवल कोरोना वायरस

निगम के विभिन्न जोनांतर्गत लगाया गया 6200 रू. जुर्माना

(मास्क न लगाने पर निगम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही)

कोरबा 21 दिसम्बर 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वालों पर निगम द्वारा निरंतर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी मास्क न लगाने वालों पर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 6200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 700 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1200 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1400 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 700 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 700 रूपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।